

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं श्रमिक कल्याण विभाग
श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना

—: कार्यालय आदेश :—

श्रम अधीक्षक, शिवहर के पत्रांक-480 दिनांक-03.11.2025 के साथ संलग्न जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, शिवहर के कार्यालय ज्ञापांक-1505/सी० दिनांक-02.11.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर मो० हैदर अली अंसारी, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पुरनहिया, शिवहर को प्रतिनियुक्त किया गया था। निर्वाचन कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 134(i) के तहत प्राथमिकी संख्या-141/25, दिनांक-23.10.2025 दर्ज की थी।

2. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, शिवहर के द्वारा किए गए अनुशंसा के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-6805 दिनांक-21.11.2025 द्वारा मो० हैदर अली अंसारी, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पुरनहिया, शिवहर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर उनका मुख्यालय उप श्रमायुक्त कार्यालय, दरभंगा निर्धारित किया गया।

3. विभागीय पत्रांक-6878 दिनांक-26.11.2025 द्वारा मो० हैदर अली अंसारी के विरुद्ध उक्त आरोप से संबंधित आरोप-पत्र गठित कर तथा आरोप के मद्दों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य/अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए एक पक्ष के अन्दर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17/19 के आलोक में बचाव बयान समर्पित करने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में मो० हैदर अली अंसारी तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पुरनहिया, शिवहर (निलम्बन अवधि में मुख्यालय- उप श्रमायुक्त कार्यालय, दरभंगा) द्वारा आरोप-पत्र पर बचाव अभिकथन समर्पित किया गया।

4. विभागीय पत्रांक-191 दिनांक-14.01.2026 द्वारा मो० हैदर अली अंसारी से प्राप्त आरोप-पत्र पर बचाव अभिकथन को संलग्न करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, शिवहर से मो० अंसारी के बचाव बयान पर उनका मंतव्य हेतु अनुरोध किया गया।

5. विभागीय पत्रांक-191 दिनांक-14.01.2026 के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, शिवहर के द्वारा पत्रांक-167 दिनांक-06.04.2026 के माध्यम से चिकित्सा पदाधिकारी से सत्यापन के उपरान्त मो० हैदर अली अंसारी द्वारा आरोप-पत्र पर समर्पित किये गए बचाव बयान को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके बचाव बयान को स्वीकार किए जाने का मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

6. उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत मो० हैदर अली अंसारी तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पुरनहिया, शिवहर (निलम्बन अवधि में मुख्यालय- उप श्रमायुक्त कार्यालय, दरभंगा) को निलम्बन मुक्त करते हुए श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया गया।

7. मो० अंसारी के विधान सभा चुनाव 2025 में अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने के संबंध में श्रम अधीक्षक, शिवहर द्वारा पत्रांक-277/275 दिनांक-06.05.2026 के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

मो० अंसारी द्वारा समर्पित आरोप पत्र पर बचाव अभिकथन एवं श्रम अधीक्षक, शिवहर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत विभागीय आदेश ज्ञापांक-2718, दिनांक-15.05.2026 द्वारा मो० अंसारी को चेतावनी संसूचित की गई, जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्रि में की जाएगी।

8. मो० अंसारी द्वारा उनके निलंबन अवधि के विनियमन एवं वेतन भुगतान पर विचार करने हेतु दिनांक-18.05.2026 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-3131, दिनांक-03.06.2026 द्वारा उप श्रमायुक्त, दरभंगा से मो० अंसारी के निलंबन अवधि दिनांक-21.12.2025 से दिनांक-10.04.2026 तक उनके कार्यालय में उपस्थित रहने के संबंध में प्रतिवेदन एवं साक्ष्य की मांग किया गया।

विभागीय पत्रांक-3131, दिनांक-03.06.2026 के आलोक में उप श्रमायुक्त, दरभंगा द्वारा पत्रांक-2024 दिनांक-05.06.2026 एवं संशोधित पत्रांक-2259 दिनांक-23.06.2026 द्वारा प्रतिवेदन एवं साक्ष्य उपलब्ध कराया गया।

9. मो० हैदर अली अंसारी तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पुरनहिया, शिवहर सम्प्रति श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अभ्यावेदन एवं उप श्रमायुक्त, दरभंगा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं साक्ष्य पर सम्यक् विचारोपरांत मो० अंसारी के निलंबन अवधि को विनियमित किया जाता है एवं उक्त अवधि के वेतन भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

ह०/-
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:- 5/आर०एल०-40-169/2025 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:- 5/आर०एल०-40-169/2025 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- श्रम अधीक्षक, शिवहर/उप श्रमायुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ उप श्रमायुक्त दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, शिवहर एवं मो० हैदर अली अंसारी तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पुरनहिया, शिवहर सम्प्रति श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:- 5/आर०एल०-40-169/2025 श्र०सं०- 3813

पटना, दिनांक- 6/7/26

प्रतिलिपि:-✓आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4 37/26
श्रमायुक्त, बिहार।